संख्या-29/2024/1091/001-78-01099-102-2022

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रा निक्सं अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 05 अगस्त , 2024

विषय- मेसर्स टेग्ना इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ई0एम0सी0 ग्रान्टस की द्वितीय किश्त के सापेक्ष राज्य सरकार का अंशदान रु0 6.25 करोड़ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्राकनिक्स् कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसीः इलेक्ट्रानिक्स 9064(2024-25), दिनांक 19-05-2024 एवं पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपीः 9064(2024-25), दिनांक 06-07-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताप के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में मेसर्स टेग्ना इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ई0एम0सी0 ग्रान्ट की द्वितीय किश्त के सापेक्ष राज्य सरकार का अंशदान रु0 6.25 करोड़ को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्न्लिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीनय नियम संग्रह खण्डा-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) निदेशक उद्योग द्वारा वित्ता विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(6) धनराशि का भुगतान जिस संस्था को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जायेगी।

(7) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्तं पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-03-2024 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ, धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(11) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 स्वयं उत्तरदायी होगा।

(12) उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

(13) उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, योजनान्र्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराएंगे।

(14) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से योजना के दिशा-निर्देश प्रभावित न हों।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,25,00,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 4859028001100 इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-52-X-2024-25, दिनांक- 22 जुलाई, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है

भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 29/2024/1091/001-78-01099-102-2022 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्ड ल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनु0-2
12- अनु सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।